



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

8 भाद्र 1941 (श0)

(सं0 पटना 1018) पटना, शुक्रवार, 30 अगस्त 2019

वाणिज्य-कर विभाग

शुद्धि-पत्र

30 अगस्त 2019

एस० ओ० 355, दिनांक 30 अगस्त 2019 वाणिज्य-कर विभाग की अधिसूचना संख्या-3/2019-राज्य-कर (दर), दिनांक 29 मार्च 2019, जिसे बिहार गजट, असाधारण अंक, में संख्या-509, दिनांक 29 मार्च 2019 द्वारा प्रकाशित किया गया था, में-

- (क) पृष्ठ 12 पर, पंक्ति 39 में "FORM GST ITC-03" के स्थान पर "FORM GST DRC-03" पढ़ें और
- (ख) पृष्ठ 19 पर, पंक्ति 14 में "FORM GST ITC-03" के स्थान पर "FORM GST DRC-03" पढ़ें;

[(सं० बिक्री-कर/जीएसटी/विविध-21/2017 (खंड-7)2577)]
बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
डॉ० प्रतिमा,
राज्य कर आयुक्त-सह-सचिव ।

30 अगस्त 2019

एस० ओ० 355, दिनांक 30 अगस्त 2019 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जाय ।

[(सं० बिक्री-कर/जीएसटी/विविध-21/2017 (खंड-7)2577)]
बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
डॉ० प्रतिमा,
राज्य कर आयुक्त-सह-सचिव ।

The 30th August 2019

S.O.355, Dated 30th August 2019—In the notification of the Commercial Taxes Department notification No.03/2019-State Tax (Rate), dated the 29th March, 2019, published in the Bihar Gazette, Extraordinary, vide number 509, dated the 29th March, 2019

- (a) at page 39, in line 46, for “FORM GST ITC- 03” read “FORM GST DRC- 03”; and
(b) at page 45, in line 13, for “FORM GST ITC- 03” read “FORM GST DRC- 03”.

[(File No. Bikri kar/GST/vividh-21/2017(Part-7)2577)]

By the order of Governor of Bihar,

Dr. Pratima,

Commissioner State Tax-cum-Secretary.

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।

बिहार गजट (असाधारण) 1018-571+10-डी0टी0पी0।

Website: <http://egazette.bih.nic.in>